



कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिनांक 12.06.2022 को विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देश :- (समय 03.00 बजे)

सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिनांक 12.06.2022 को समय 03.00 बजे विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से निम्नांकित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है :-

1. बड़े नाला/नालियों की साफ - सफाई एवं निरीक्षण-

प्रत्येक नालों की साफ - सफाई एवं आंतरिक नाली मोहल्ले की नाली की साफ - सफाई निरंतर रूप से किया जाये। वार्ड/क्षेत्र के प्रत्येक नालियों की सफाई का निरीक्षण 15 दिन तक लगातार किया जाये। सर्व जोन आयुक्त प्रतिदिवस अपने - अपने वार्ड/क्षेत्र का प्रातःकालीन भ्रमण की जाये और नियमित रूप से सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाये। यदि कहीं पर अतिक्रमण के कारण बरसात के पानी बहाव में कठिनाई की संभावना को देखते हुये तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाये। यदि किसी वार्ड/क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्याएँ आती है तो सर्वप्रथम संबंधित जोन के जोन आयुक्त को सूचना दिया जाये। संबंधित जोन आयुक्त समस्या के निराकरण के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(कार्यवाही - सर्वजोन आयुक्त/सर्व जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी)

2. उच्च स्तरीय टंकियों की सफाई -

निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी उच्चस्तरीय टंकियों की सफाई समयानुसार कराई जावे। जलशोधन संयंत्र से सभी टंकियों में की जा रही जल प्रदाय की टेस्टिंग प्रतिदिन जलशोधन संयंत्र में कराई जाये। उच्च स्तरीय टंकियों में पानी भरने के बाद पाईप लाईन से पेयजल वितरण के समय पेयजल का सेम्पलिंग लेकर जाँच कराई जावे।

(कार्यवाही - कार्यपालन अभियंता(जलकार्य)/सर्वजोन आयुक्त)

3. डेंगू मलेरिया रोकथाम हेतु दवाई/फागिंग छिड़काव -

निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड में नियमित रूप से दवाई का छिड़काव किया जाये कहीं पर भी पानी का जमाव अधिक दिनों तक नहीं होने दिया जाय। छोटे - छोटे गड्ढों पर वर्षा का पानी जमा हो वहीं दवाई का छिड़काव किया जाये। नालियों में सफाई के बाद ब्लीचिंग डलवाई जाये। प्रत्येक दिवस की जा रही कार्यवाही की जानकारी लिया जाये।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/सर्व जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी)

4. पेयजल प्रदाय का जांच -

पेयजल प्रदाय किये जा रहे है उसकी जांच नियमित रूप से फिल्टर प्लांट में व पानी टंकी से जलापूर्ति वार्ड क्षेत्र में किये जा रहे पाईप लाईन का एवं अंतिम छोर का जल प्रदाय की जांच अनिवार्य रूप से कराई जाये। तीन चार माह पूर्व निगम क्षेत्र में किये जा रहे पेयजल की जांच मितानिनों के माध्यम से सेम्पलिंग लेकर जांच कराई गई थी, जांच में पेयजल दूषित पाया गया था, पुनः उन स्थानों का टेस्टिंग कराई जाये।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता(जलकार्य)/सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी)

क्रमशः.....

5. क्लोरीन टेबलेट का वितरण -

निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड के निवासियों को क्लोरीन टेबलेट वितरण किया जाये। क्लोरीन कितनी मात्रा में उपयोग करना है, नागरिकों को जानकारी दिया जाये। साथ ही, कूलर में दवाई छिड़कने के लिये दवाई प्रदाय किया जाये। दवाई कैसे उपयोग करना है, नागरिकों को अच्छे से जानकारी दिया जाय। घरों में क्लोरीन वितरण एवं कूलर में दवाई डालने के लिये दिये जा रहे दवाई का घर मालिक से पंजी में हस्ताक्षर कराया जाय। बरसात में पानी का उपयोग कैसे करना है, जागरूकता लाने हेतु माइक के माध्यम से लगातार मुनादी कराई जाये।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/सर्व जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी)

6. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का चिन्हांकन एवं वैकल्पिक स्थल का चिन्हांकन -

वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा से नदी, नालों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसी स्थिति में निगम क्षेत्र में जहां पर बाढ़ की संभावना रहती है ऐसे स्थान पर बसे लोगों को वैकल्पिक बसाहट के लिये पूरी तैयारी पूर्व से कर लिया जावे। स्थान का चिन्हांकन करते हुये चिन्हित स्थल पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जाये। शुद्ध पेयजल/प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये।

(कार्यवाही - सर्व जोन आयुक्त/सर्व संबंधित कर्मचारी)

7. भवन निर्माण सामग्री का उठाव -

कई भवन निर्माण कर्ताओं द्वारा बिल्डिंग निर्माण सामग्री सड़कों पर रख नालियों को जाम कर देते हैं जो बरसात के पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसे भवन निर्माण कर्ताओं के विरुद्ध जुर्माना (फाईन) दण्ड राशि वसूला जावे एवं अवरोधक को तत्काल हटवाया जाये।

(कार्यवाही - सर्वजोन आयुक्त/सर्व जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी)

8. कंट्रोल रूम का प्रचार - प्रसार -

मानसून आने के बाद आकस्मिक बरसात होने से अधिकांश स्थानों पर जलभराव की स्थिति तभी निर्मित होती है जब पानी के बहाव के लिये ढलान या रास्ता/नाली नहीं बना हो। निगम क्षेत्र के नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या आने पर नागरिकों को जानकारी के लिये बाढ़ नियंत्रण आपदा प्रबंधन के लिये जारी आदेश के अनुसार सभी जोन के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का मोबाईल नंबर एवं कंट्रोल रूम का नंबर अधिक से अधिक प्रचारित किया जाये। कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये।

(कार्यवाही - स्वास्थ्य अधिकारी/सर्व जोन आयुक्त/जनसंपर्क अधिकारी)

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।


(प्रकाश कुमार सर्वे)

रा.प्र.से.


आयुक्त
नगर प्रबलिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 13/06/2022

पृ.क./एफ- /समीक्षा बैठक/4371
प्रतिलिपि :-

1. महापौर महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।

3. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
6. जौन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जौन-1,2,3,4 एवं 5/जलकार्य/स्वास्थ्य/कम्प्युटर/विद्युत/भवन संधारण/स्टोर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
9. सर्व संबंधित /विभाग प्रमुखनगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई